

विद्यार्थक प्रश्न क. 726

परिशिष्ट - 01

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल की सुविधा न होना।
विद्यार्थक प्रश्न क. 726

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 8 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 10 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

टीप/— किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार विभाग को होगा ।

3/12/19
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-2)
अंभालय, जाल

4/12/19
उप सचिव,
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग